

न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 चन्देरी जिला-अशोकनगर

(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर-2351030002042015

व्यवहार वाद क्रं.-16ए/2017

संस्थापित दिनांक-16.12.2015

1.कपूरीवाई पत्नी जशरथ सिंह यादव आयु 50 वर्ष व्यवसाय खेती निवासी ग्राम छपरा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर
2.कालू पुत्र मन्ना बंजारा आयु 40 वर्ष
3.केशीवाई पत्नी कालू बंजारा आयु 60 वर्ष
4.रतनियाबाई पत्नी तोफान आदिवासी आयु 45 वर्ष
5.सावित्रीवाई पत्नी गोकलिया आदिवासी आयु 35 वर्ष
6.मायाबाई पत्नी गोकलिया आदिवासी आयु 70 वर्ष
7.लाल पुत्र मन्ना बंजारा आयु 56 वर्ष
8.गंगा पुत्र मन्ना बंजारा आयु 52 वर्ष
9.गोमदा पुत्र मन्ना बंजारा आयु 45 वर्ष
10.जमनाबाई पुत्री मन्ना आयु 60 वर्ष
11.हीरीबाई पुत्र मन्ना बंजारा
12.परियाबाई पुत्र मन्ना बंजारा
13.केरीबाई पुत्री मन्ना बंजारा सभी निवासीगण ग्राम पीपरीधार तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर
वादीगण
विरुद्ध
1.मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर जिला अशोकनगर
2.वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल अशोकनगर
3.वन परिक्षेत्राधिकारी सामान्य वन परिक्षेत्र चंदेरी जिला

अशोकगनर	प्रतिवादीगण
वादीगण द्वारा श्री पठान अधिवक्ता । प्रतिवादीगण द्वारा श्री चौवे अधिवक्ता ।	

— / / निर्णय / / —

(आज दिनांक 20.09.2017 को घोषित)

01. वादीगण ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध ग्राम बरखेडा तहसील चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्र. 71/4/2 रकवा 1.254 हेक्टेयर, सर्वे क्र. 71/5 रकवा 2.090 हेक्टेयर, सर्वे क्र. 73/2 रकवा 4.81 हेक्टेयर (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जाएगा) स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया है।
02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण उल्लेखनीय स्वीकृत तथ्य नहीं है।
03. वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के अनुसार उक्त वादग्रस्त भूमि उनके स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है तथा उक्त विवादित भूमि में से सर्वे क्र. 71/4/2 विजयसिंह की पुस्तैनी भूमि थी जो वादी क्र.1 ने विजयसिंह से क्रय कर उस पर आधिपत्य प्राप्त किया था। वादीगण के अनुसार शेष विवादित भूमि भी वादी क्र.1 के अतिरिक्त शेष वादीगण की है पुस्तैनी भूमियां हैं जिन पर म0प्र0 राज्य का कोई संबंध नहीं है तथा वादीगण पूर्वजों के समय से विवादित भूमियों का उपयोग एवं उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा म0प्र0 शासन ने भी कभी उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। वादीगण ने अपने वादपत्र में अभिवचन किया है कि सर्वे क्र.71 का कोई वटांकन नहीं था तथा उसका क्षेत्रफल लगभग 100 बीघा का था और उसी भूमि से लगी हुई वन विभाग की भूमि है तथा पूर्व

एवं पश्चिम में उसकी भूमियां हैं इसकी जानकारी उसे नहीं है। वादीगण के अनुसार उन्हें कोई सूचना दिये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना वन विभाग की सीमा बना दी गई। वादीगण के अनुसार दिनांक 29.06.15 को ग्राम पटवारी ने बताया कि वादग्रस्त भूमि वनविभाग की भूमि है जिसके संबंध में उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की जिसमें रिट याचिका का निराकरण करते हुए माननीय उच्च न्यायालय व्यवहार वाद प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी। अतः वादीगण ने अपने वादपत्र के माध्यम से इस आशय की डिक्री चाही है कि उन्हें उक्त विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी घोषित किया जावे और साथ में और साथ ही प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

04. उक्त वादपत्र के जवाब में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र में किए गए अभिवचनों को पूर्णतः अस्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादीगण द्वारा गलत आधारों पर वादपत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण के अनुसार ग्राम बरखेडा स्थित वीट कक्ष क्रमांक पी एफ 180 के अंतर्गत आती है जो कि वन भूमि है। प्रतिवादीगण के अनुसार वादीगण वन भूमि को अपना बताया है तथा राजस्व परिपत्रों में नाम अंकित होने से वह वन भूमि को अपनी भूमि समझते हैं। प्रतिवादीगण के अनुसार उक्त विवादित भूमि का वटांकन कब हुआ इस तथ्य की जानकारी वन विभाग को नहीं है तथा माननीय उच्च न्यायालय ने वादीगण की रिट याचिका खारिज की है। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र को अस्वीकार कर निरस्त करने का अभिवचन किया गया है।

05. वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित वाद प्रश्न की विरचना की हैं, जिनके आगे इस न्यायालय के सकारण निष्कर्ष निम्नवत है :-

क्रं.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या ग्राम बरखेडा तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्रं.71/4/2 रकवा 1.254 हेक्टेयर वादी कपूरीबाई, सर्वे क्रं.71/5 रकवा 2.090 हेक्टेयर, वादी रतनीयाबाई, सावित्रीबाई व मायाबाई तथा सर्वे क्रं.71/2 रकवा 4.181 हेक्टेयर, वादी, लाला, गंगा, गोमदा, कालू, हीरीबाई, परिय बाई व केरीबाई 1/2 भाग एवं केशीबाई 1/2 भाग के स्वत्व एवं आधिपत्य की है ?	नहीं
02.	क्या प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त भूमि पर हस्तक्षेप किये जाने का प्रयास किया जा रहा है ?	नहीं
03.	क्या वादीगण उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी है ?	नहीं
04.	क्या वादीगण ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायालय शुल्क अदा किया है ?	हां
05.	सहायता एवं व्यय ?	“निर्णयानुसार वादीगण का वाद अस्वीकार कर सव्यय निरस्त किया गया।”

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

06. वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में वा.सा. 01 कपूरीबाई, वा.सा.2 कालू की मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की है और साथ ही प्र0पी01 लगात प्र0पी026 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किए हैं। प्रतिवादीगण की ओर से प्र.सा. 01 राजीवरतन सिंह, प्र0सा02 राकेश डतोतिया की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत

की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से प्र0डी01 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है।

07. प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है एवं वाद प्रश्न क्रमांक 04 एवं 05 का निराकरण पृथक-पृथक से किया जा रहा है।

**—:: वादप्रश्न क्रं. 01 लगायत 03 ::—**

08. वा.सा. 01 कपूरीवाई ने अपने कथन में बताया है कि उसने विवादित भूमि 15 वर्ष पूर्व विजय सिंह से क्रय कर उस पर आधिपत्य प्राप्त किया था। उक्त साक्षी के अनुसार वह विवादित भूमि पर क्रय दिनांक से मालिक है तथा वन विभाग की भूमि उसकी भूमि से दूर है। वा.सा.1 के अनुसार ग्राम पटवारी ने यह जानकारी दी थी कि उसकी भूमि में वन विभाग की भूमि बना दी गई है किंतु उसकी कोई जानकारी उसे कभी नहीं दी गई है। उक्त साक्षी के अनुसार उसे याद नहीं है कि उसने विवादित भूमि कब क्रय की थी अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी का कहना है कि उसने 25 वर्ष पूर्व विवादित भूमि क्रय की थी। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में बताया है कि पटवारी ने उसे बताया था कि विवादित भूमि वन विभाग की हो गई है। उक्त साक्षी के अनुसार उसे जानकारी नहीं है कि विवादित भूमि क्रय करने की दिनांक से आज दिनांक तक विवादित भूमि का सीमांकन कराया है या नहीं। इसी प्रकार वा.सा.2 कालू ने भी अपने मुख्य परीक्षण में उक्त बातें बताई हैं। अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसने वंशवृक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। उक्त साक्षी के अनुसार उसे विवादित भूमि के रकबे की जानकारी नहीं है।

09. प्र.सा0.1 एवं प्र.सा.2 ने अपने कथन में बताया है कि उक्त विवादित भूमि कक्ष क.180 के अंतर्गत ग्राम बरखेडा में आती है। दोनों साक्षीगण के अनुसार दिनांक 20.01.16 को वन स्टाफ के साथ उक्त विवादित भूमि पर जीपीएस रीडिंग ली गई थी जिससे की विवादित भूमि वन विभाग की भूमि दर्शित हो रही थी। दोनों साक्षीगण के अनुसार वादीगण विवादित भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते हैं। प्र.सा.2 के अनुसार उसे जानकारी नहीं है कि वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि के स्वामी हैं अथवा नहीं।

10. वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने जो मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की है उसमें दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी साक्ष्य दी है। वादीगण के अनुसार उक्त विवादित भूमि उनके स्वत्व की भूमि है वही प्रतिवादीगण के अनुसार उक्त विवादित भूमि वन विभाग की भूमि है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण की मौखिक साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष देना संभव नहीं है कि वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि के स्वत्वाधिकारी हैं या नहीं। प्रतिवादीगण की ओर से प्र.डी.1 का पंचनामा अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है। उक्त पंचनामों के आधार पर यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त विवादित भूमि किसके स्वत्व की भूमि है। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की विवेचना के आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सकता है कि क्या वादीगण उक्त विवादित भूमि के स्वत्वाधिकारी हैं या नहीं

11. वादीगण ने उक्त विवादित भूमि के खसरे प्र0पी02 लगायत प्र0पी04 की प्रमाणित प्रतिलिपियां अभिलेख पर प्रस्तुत की हैं और साथ ही प्र0पी09 लगायत प्र0पी014 के खसरो की प्रमाणित प्रतिलिपि भी अभिलेख पर प्रस्तुत की हैं। उल्लेखनीय है कि वादीगण ने कोई भी रजिस्टर्ड विक्रयपत्र अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है जबकि वादीगण के अनुसार उन्होंने वादग्रस्त भूमि क़य की है। वादीगण ने अपना वंशवृक्ष भी अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है जिसके आधार पर

स्वत्व संबंधी कोई निष्कर्ष दिया जा सके। उल्लेखनीय है कि वादीगण के साक्ष्य में विरोधाभास है जहां एक और वादी अपने कथन में यह कहता है कि उक्त विवादित भूमि उसने 15 वर्ष पूर्व क्रय की है वहीं अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी का कहना है कि उसने उक्त विवादित भूमि 25 वर्ष पूर्व क्रय की है जो कि एक विरोधाभास है।

12. उल्लेखनीय है कि वादी ने अपने कथन में बताया है कि उसने विवादित भूमि फुंदीलाल से क्रय की है किंतु वादी ने इस संबंध में कोई भी रजिस्टर्ड विक्रयपत्र अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया है, जिसके आधार पर स्वत्व संबंधी कोई निष्कर्ष दिया जा सके। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि वादी अपने कथनों में यह बताने में असमर्थ रहा है कि उक्त विवादित भूमि के कोन कोन पड़ोसी है। जबकि वादी के अनुसार उक्त विवादित भूमि पर वह लंबे समय से काबिज है। ऐसी दशा में जबकि वादी उक्त विवादित भूमि पर लंबे समय से काबिज है, वादी से यह आशा की जा सकती है कि उसे अपने पड़ोसी कृषकों का नाम पता हो किंतु उसे प्रकरण में वादी ऐसा करने में असमर्थ रहा है। यहां तक कि वादी को उक्त विवादित भूमि के संपूर्ण रकवे की भी जानकारी नहीं है तथा वादी संपूर्ण रकवे के संबंध में जानकारी देने में अपने कथनों में असमर्थ रहा है। एक अन्य विरोधाभास वादी के कथनों में अभिलेख पर जो आया है वह यह है कि अपने मुख्य परीक्षण में वादी का कहना है कि उसे विवादित भूमि के वन विभाग की भूमि हो जाने के संबंध में पटवारी से जानकारी हुई थी किंतु अपने प्रतिपरीक्षण में वादी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि विवादित भूमि वन विभाग की होने के संबंध में उसे पटवारी से कोई जानकारी नहीं हुई थी।

13. वादी ने स्वत्व के संबंध में विवादित भूमि से खसरो की प्रमाणित प्रतिलिपियां अभिलेख पर प्रस्तुत की हैं। यहां पर उल्लेखनीय है कि मात्र खसरो में प्रविष्टि के आधार पर वादी को विवादित भूमि पर स्वत्व प्राप्त नहीं हो जाते वह भी तब जबकि वादी यह कथन करके आ रहा है कि उक्त विवादित भूमि उसने क्रय की थी, किंतु वादी क्रय को प्रमाणित करने असफल रहा है। इस संबंध में निम्न

न्याय दृष्टांत मांगीलाल वि० सन्वन्त एवं अन्य 1988 राजस्व निर्णय 302 अनुकरणीय है जिसमें निश्चित किया गया है कि राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियां किसी भी व्यक्ति को स्वत्व संबंधी कोई हक प्रदान नहीं करती है। उक्त आदर योग्य न्याय दृष्टांत विचाराधीन प्रकरण की परिस्थितियों में भी अनुकरणीय है।

14. उपरोक्त समग्र विवेचन एवं न्याय दृष्टांत के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वह उक्त विवादित भूमि का स्वत्वाधिकारी है और साथ ही यह भी प्रमाणित करने में असफल रहे है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है और इस प्रकार प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 नकारात्मक निर्णीत किए जाते हैं।

—:: वादप्रश्न क्रं.—04 ::—

15. वादीगण ने प्रस्तुत वाद स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बावत प्रस्तुत किया है। वादीगण ने जो न्यायशुल्क चशपा किया है वह न्यायशुल्क अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों के अंतर्गत चशपा किया जाना प्रकट हो रहा है। परिणामतः वाद प्रश्न क्रमांक 04 सकारात्मक निर्णीत किया जाता है।

—:: वादप्रश्न क्रं.—05 ::—

16. साक्ष्य एवं विधि के उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि वादी अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः वादी का वाद अस्वीकार कर सब्यय निरस्त किया जाता है।

17. वाद का संपूर्ण व्यय वादी द्वारा वहन किया जाएगा एवं अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो देय होगी।



उपरोक्तानुसार जयपत्र की रचना की जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(ज़फ़र इकबाल)  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
चंदेरी, जिला अशोकनगर

(ज़फ़र इकबाल)  
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
चंदेरी, जिला अशोकनगर